प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 जनवरी, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मिन्टू पुत्र श्री नाजीर सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मिन्टू पुत्र श्री नाजीर सिंह (दिनांक 14.06.2024 तक बन्दी की आयु 39 वर्ष 08 माह है) होली फार्म बैराज रोड, थाना-कोतवाली शहर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। पानी के बोतल के कम पैसे देने के विवाद को लेकर दिनांक 13.03.2010 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व लाठी से मारकर हर्षवर्धन नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-371/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-08, बिजनौर के आदेश दिनांक 13.09.2012 द्वारा आजीवन कारावा से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.03.2019 द्वारा धारा-302/34 में दण्डित आजीवन कारावास को लघुकृत करते हुए धारा-304 (1) में 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 14.06.2024 तक अपरिहार 07 वर्ष, 05 माह तथा सपरिहार 08 वर्ष, 09 माह 24 दिन की मात्र की सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध कारित करने की संभावना होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य है, समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी की 39 वर्ष 08 माह की आयु एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मिन्टू (बन्दी संख्या-49951) पुत्र श्री नाजीर सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-35/2026/1819(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।

2- पुलिस अधीक्षक, बिजनौर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।